न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 07/2025 — तारीख रजूः– 03.06.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

तारा मीना पत्नि बनैसिंह, आयु 50 साल, जाति मीना, निवासी कटकड़ तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान ————————————प्रार्थीया

बनाम

1.	विमला पत्नि श्रीराम	समस्त जाति मीना निवासी कटकड़
2.	सम्पत्ति पत्नि हरसहाय	तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

3. तहसीलदार महोदय, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111भू राजस्व अधिनियम व धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी व हुक्म इम्तनाईदबामी

उपस्थित :–1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिंनाक :–18.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 3902/4478 रकबा 1.25 हैक्टेयर, वाकेतन ग्राम कटकड, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली प्रार्थीया के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जिससे प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी व्यक्ति व अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात उबड़–खाबड होने के कारण खसरा के सीमांकन का कोई पता नहीं लगता था, इसलिए अप्रार्थीगण से सीमा विवाद के बारे में आये दिन कहासुनी होती रहती थी तथा प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान करवाने के लिए कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी में आवेदन किया जिस पर तहसीलदार हिण्डौन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ने दिनांक 06.10.2022 को प्रार्थीया के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 3902 / 4478 रकबा 1.25 हैक्टेयर की सीमाज्ञान परिवादी की उपस्थिति में दो भूअभिलेख निरीक्षक व तीन पटवारी हल्का को सीमाज्ञान करने का आदेश दिया तथा दिनांक 14.10.2022 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में उक्त टीम ने उक्त भूमि का प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति तथा अन्य गॉव वालों के समक्ष स्थायी बिन्दुओं से जरीक चलाई जाकर उक्त खसरा नं. की चारों सीमाऐं निर्धारित कर, चारों बिन्दू लगवाए जाकर सीमाज्ञान किया गया तथा चारों सीमाऐं मौके पर बताई गई तथा मौके पर उपस्थित लोगों को फॉमों को पढ़कर बताया, तभी से ही प्रार्थीया राजस्व टीम द्वारा गठित सीमा चिन्हनों की भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि अप्रार्थीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जिनकी प्रार्थीया की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि के आस–पास कोई चपरेटमा भी भूमि नहीं है और ना ही अप्रार्थीगण की भूमि की प्रार्थीया की भूमि से मेल खाती है, फिर भी अप्रार्थीगण लठ्ठ के बल से प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से झगड़ा फसाद पर उतारु रहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मुतजिका मद नं. 1 प्रार्थना पत्र का मौके पर सीमाज्ञान करने के पश्चात् दिनांक 12.05.2025 को सुबह 9 बजे प्रार्थीया अपने उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थरगढ़ी करने की कार्यवाही कर रही थी तब गैरसायलान मौके पर आ गये तथा प्रार्थीया से कहा कि हम तुझे पत्थरगढ़ीं नहीं करने देगें क्योंकि इस भूमि में हमारी भूमि भी है तब प्रार्थिया ने कहा कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसील द्वारा गठित टीम ने दिनांक 06.10.2022 को गॉव के प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष कर चिन्हित कर दिया है, फिर भी तुम हमें क्यों नाजायज परेशान कर रहे हो तब अप्रार्थीगण व उनके पतियों ने कहा कि हम कोई सीमाज्ञान को नहीं मानते तथा हम तुझे उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी नहीं करने देगें तथा तुझे बेदखल करेंगे, इसलिए यह कि प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढ़ी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि विनाय प्रार्थना पत्र प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 12.05.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को नहीं करने देने पत्थरगढ़ी तथा देने धमकी बाबत प्रार्थीया को करने बेदखल उक्त आराजी उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करने की धमकी दी गई है व अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार लैण्ड होल्डर है, इस कारण पक्षकार बनाये गये है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 3902 / 4478 रकबा 1.25 हैक्टेयर वाकेतन ग्राम कटकड, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली का जरिये तहसीलदार मौके पर पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश प्रदान करें। साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की भूमि खसरा नं. 3902/ 4478 रकबा 1.25 हैक्टेयर, वाकेतन ग्राम कटकड, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली में कोई बाधा मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें तथा प्रार्थीया को जबरन बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हक–हकूक प्रार्थीया कोई क्षति किसी प्रकार की पहूंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 16.09.2025 को अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रार्थीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन, नकल प्रार्थना पत्र सर्वेक्षण एवं सीमांकन आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2022 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3209/4478 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी तारा मीना पत्नि बनैसिंही जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में अंकित किया है कि आज दिनांक 14.10.2022 को श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक एलआर/2022/4099 दिनांक 06.10.2022 की पालना में ग्राम कटकड के आराजी खसरा नम्बर 3209/4478 रकबा 1.25 है0 के मौके पर गठित टीम दल के कार्मिक पहुँचे। मौके पर वादी के पति एवं ग्राम के अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष स्थाई बिन्दूओं से जरीब चलाई जाकर उक्त खसरा नम्बर की चारों सीमाऐं निर्धारित कर, चारों बिन्दू लगबाए जाकर सीमाज्ञान कराया गया एवं चारों सीमाऐं मौके पर बताई गई। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर कराये गये। मौके पर उपस्थित वादी के पति एवं उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया विवादित आराजी खसरा नम्बर 3209/4478 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3209/4478 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन विधिवत रूप से पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने एवं प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने की अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 3209/4478 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरीगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम व धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट करवाये जाने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सीमाज्ञान पत्थरगढी व हुक्म इम्तनाईदबामी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3209/4478 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए प्रार्थीया को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीया को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 18.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली